प्रस्तावना

31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अधीन राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने के लिए तैयार किया गया है।

राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अधीन संचालित की जाती है। यह प्रतिवेदन बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, अन्य कर प्राप्तियाँ, खनिज रियायत, फीस, रॉयल्टी और राज्य के अन्य कर भिन्न प्राप्तियों को शामिल करते हुए प्राप्तियों की लेखापरीक्षा का परिणाम प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं जो वर्ष 2010–11 की अवधि में अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में देखने में आये, साथ ही उन मामलों को भी सम्मिलित किया गया है जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आये किन्तु पिछले प्रतिवेदनों में उन्हें सम्मिलित नहीं किया जा सका।